



Neutral Citation No. -2026: AHC:125527

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19445/2026

विशाल रे

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: कमलेश कुमार सिंह, विवेक कुशवाहा

विपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. दिनांक 17.05.2026 की नोटिस की तामील होने के बावजूद प्रथम सूचना दाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री रोशन कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 55/2026, अंतर्गत धारा 137(2), 87, 351(2), 352, 64(2)(एम), 142 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 5(1)/6 पॉक्सो अधिनियम, थाना-सकलडीहा, जनपद-चंदौली में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन कथानक के अनुसार, प्रथम सूचना दाता की पुत्री को आवेदक द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाया गया था; तत्पश्चात, पीड़िता के घर लौटने पर उसके कथन धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अंकित किए गए, जिनमें उसने कहा कि उसका वर्तमान आवेदक के साथ प्रेम-संबंध था तथा वह अपनी स्वेच्छा से घर छोड़कर गई थी तथा वह आवेदक के साथ विभिन्न स्थानों पर रही, किन्तु उन्हें नौकरी नहीं मिल सकी, अतः, वह वापस अपने घर लौट आई; इसके पश्चात प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया, फिर भी, आवेदक को मिथ्या रूप से अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



फँसा दिया गया। सिर्फ इसलिए कि उसका आवेदक के साथ प्रेम-संबंध था, आवेदक को इस मामले में शामिल किया गया है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक की आयु 22 वर्ष है तथा हाई-स्कूल अंकपत्र के अनुसार पीड़िता की आयु 16 वर्ष है। उन्होंने आगे कहा कि चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट किसी प्रकार की यौन हिंसा का समर्थन नहीं करती है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 21.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः, अब अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

5. वहीं दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. प्रकरण के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता का ध्यान रखते हुए तथा कारागारों में अत्यधिक भीड़ तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित आपराधिक वादों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित के प्रकरण में प्रतिपादित विधि के आलोक में तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद में संलिप्त आवेदक- **विशाल रे**, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी बन्धपत्र तथा दो समान धनराशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/अन्वेषण कार्यवाही में सत्यनिष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत तथा निवास संबंधी प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा तथा संबंधित अधिवक्ता इस आशय के प्रतिज्ञा-पत्र सहित सत्यापन करेगा कि आदेश की प्रमाणित प्रति 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

11. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में पिला पहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 29.05.2026 के आदेश, का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-जेल पोर्टल से आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

04 जून, 2026